रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 309] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 1972/पौष 9, 1894

No. 309] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 1972/PAUSA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December 1972

G.S.R. 500(E).—In pursuance of section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby specifies the Orders namely, "The West Bengal Foodgrains Procurement (Levy) Order, 1972" and "The West Bengal Rice Mills (Control and Levy) Order, 1972," made by the Government of West Bengal under section 3 of the said Act, to be special Orders for purposes of summary trial under the said section 12A.

2. This notification shall remain in force till the 30th November, 1973.

[No. 203(GEN)(1)/91/72-PY.II.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1972

सा० का० नि० 500 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 12क के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा बनाए गए आदेशों, अर्थात् "पश्चिमी बंगाल खाद्यान्न उपादन (उदग्रहण) आदेश, 1972" और "पश्चिमी बंगाल धान कटुटन (नियंत्रण और उदग्रहण) आदेश, 1972", को उक्त धारा 12क के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रयोजनों के लिए विशेष आदेशों के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

2 यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1973 तक प्रवृत्त रहेगी ।

[सं० 203 (जी० ई० एन०) (1)/91/72-पी बाई-II]

ए० के० मजमदार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972.